बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् के चौथी बैठक की कार्यवाही

दिनांक–11.09.2020, समय : 12.30 अपराह्न

उपस्थिति यथा पंजी

- कार्यावली सं०–5 जो संविदा पर नियोजन संबंधी है, के "संयुक्त निदेशक" से नियुक्ति संबंधित विचार–विमर्श में श्री आर० बी० सिंह, भा०व०से० (सेवानिवृत), विशेषज्ञ सदस्य द्वारा भाग नहीं लिया गया।
- कार्यावली सं०–7 जो विशेषज्ञ सदस्यों के बैठक शुल्क निर्धारण के संबंध में थी, विशेषज्ञ सदस्यों यथा श्री पी० आर० सिन्हा, भा०व०से० (सेवानिवृत), श्री आर० बी० सिंह, भा०व०से० (सेवानिवृत) एवं डॉ० डी० एन० सिंह, भा०व०से० (सेवानिवृत) द्वारा भाग नहीं लिया गया।

2. अध्यक्ष, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् की तीसरी बैठक दिनांक–29.06.2020 में लिये गये निर्णय के अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। जैव विविधता प्रबंधन समिति (BMC) गठित करने तथा जैव विविधता पंजी संधारित के संबंध में प्रगति की जानकारी पंचायती राज विभाग तथा कृषि विभाग द्वारा दी गयी। कृषि विभाग द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र तथा पंचायत स्तर पर इस कार्य के लिए बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् के साथ मिलकर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।

अनुपालन क्रियान्वयन के संबंध में निम्न निर्णय लिये गये:–

(क) जन जैव विविधता पंजी को तैयार करने के लिए गंगा प्रहरी जिनकी संख्या बिहार में 400 है, की सहायता ली जा सकती है। गंगा प्रहरी को जैव विविधता कार्य के लिए प्रशिक्षण भी दिया गया है, तथा इनके नोडल एजेंसी भारतीय वन्यजीव संस्थान है। श्री पी० आर० सिन्हा, भा०व०से० (सेवानिवृत), विशेषज्ञ सदस्य ने इस संबंध में सहयोग देने में अपनी सहमति दी।

(ख) अनुपालन सं०–5 जो विरासत स्थल घोषित करने के संबंध में हैं। डॉ० डी० एन० सिंह, भा०व०से० (सेवानिवृत), विशेषज्ञ सदस्य द्वारा सुझाव दिया गया कि विरासत स्थल के लिए पहले नियमावली तैयार किये जाय, ग्रामीणों के दावों का निपटारा किया जाय इसके उपरांत हीं विरासत स्थल घोषित करने की कार्रवाई की जाय। अध्यक्ष, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् ने सूचित किया कि दोनों विरासत स्थल वन्यप्राणी आश्रणी के अन्तर्गत है।

विचारोंपरांत निर्णय लिया गया कि विरासत स्थल घोषित करने के लिए जैव विविधता अधिनियम–2002, जैव विविधता नियम–2004, तथा बिहार जैव विविधता नियमावली– 2017 के अनुसार ही कार्रवाई की जाय, परन्तु स्थानीय लोगों को विश्वास में लेकर उन्हें इस प्रावधानों से अवगत करा दिया जायें।

3. वित्तीय वर्ष 2020–21 बजट की घटोत्तर स्वीकृति दी गई। निर्णय लिया गया कि विभाग द्वारा कुल आवंटित राशि (300.00 लाख) के अन्तर्गत बजट बनाया जाय। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन के लिए या अन्य वैधानिक दायित्व को पूरा करने के लिए यदि अतिरिक्त राशि की आवश्यकता हैं तो उसकी मांग BCF अग्रिम के रूप में की जाय।

विस्तृत विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

email:-bsbbbihar@gmail.com

4. वित्तीय वर्ष 2021–22 बजट के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

5. वित्तीय वर्ष 2021–22 के APO में तीन योजना प्रस्तावित है, जिनका अनुमो॰ किया गया। योजना सं०–3 जो अन्तराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 2020 के आयोजन के संबंध में है, का अनुमोदन तृतीय बैठक में किया जा चुका है। योजना–1 गैर–सरकारी संगठनों/संस्थाओं को जैव विविधता प्रबंधन समिति के गठन हेतु भुगतान संबंधी हैं विस्तृत विवरण कंडिका–8 में दिया गया है। योजना संख्या–2 पंचायती राज विभाग, कृषि विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से जन जैव विविधता पंजी (PBR) तैयार करने की है। योजना सं०–2 का अनुमोदन किया गया।

6. (क) निर्णय लिया गया कि वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19 की इन्टरनल ऑडिट रिपोर्ट सभी सदस्यों को प्रेषित किया जाय तथा अनुमोदन हेतु अगली बैठक में रखा जाय।

(ख) (i) वर्ष 2017–18 तथा 2018–19 में किये गये ऑडिटर का भुगतान की जाने वाली राशि अनुमोदन किया गया।

ऑडिटर को वित्तीय वर्ष 2017–18 की राशि रू॰ – 8,500/–
GST 18% रू॰ – 1,530/–
2018–19 की राशि रू॰ – 8,500/–
GST 18% रू॰ – 1,530/–
कुल रू॰ – 20,060/–

(ii) वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए रू॰ 8,500+GST 18% = रू॰ 10,030/– राशि की अनुमोदन किया गया।

7. (क) पर्षद् के अधीन स्वीकृत संविदा आधारित पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की अनुशंसाओं का विचारोपरांत निम्नवत् अनुमोदन किया गया।

(i) संयुक्त निदेशक

श्री आर० बी० सिंह, भा०व०से० (सेवानिवृत)
प्रतीक्षा सूची
शून्य।

(ii) उप निदेशक

श्री दीपक कुमार
प्रतीक्षा सूची
1. श्री सुनील कुमार सिन्हा

इस संबंध में यह सूचना दी गई कि श्री दीपक कुमार का चयन पहले हीं विभाग में जलवायु परिवर्तन कोषांग के लिये किया जा चुका है। इसलिए इनके नाम को अनुमोदित नहीं किया जाय। प्रतीक्षा सूची के पदाधिकारी को अनुमोदित किया गया।

(iii) लेखा पदाधिकारी

चयन समिति द्वारा लेखा पदाधिकारी पद के लिए किसी आवेदक को योग्य नहीं पाया गया।

(iv) जीआईएस और रिमोट सेंसिंग पदाधिकारी

श्री भावेश कुमार
प्रतीक्षा सूची
1. सुश्री प्रभा कुमारी
2. डॉ० सुमित कुमार चौधरी

(v) वरिष्ठ कार्यालय सहायक

चयन समिति द्वारा वरिष्ठ कार्यालय सहायक के लिए किसी आवेदक को योग्य नहीं पाया गया।

(vi) कार्यालय सहायक

श्री मिहिर कुमार झा
प्रतीक्षा सूची
शून्य।

पर्षद् के अधीन स्वीकृत संविदा आधारित पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समिति द्वारा चयनित/अनुशंसित तथा बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् द्वारा अनुमोदित अभ्यार्थियों को योगदान के लिए आमंत्रण पत्र भेजा जायेगा यदि वे निर्धारित तिथि तक योगदान नहीं देते हैं तो प्रतीक्षा सूची में क्रमशः प्रथम, द्वितीय वरीयता क्रम के अभ्यर्थी को क्रमशः योगदान हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

प्रतीक्षा सूची आदेश निर्गत की तिथि से एक वर्ष तक के लिए मान्य होगी।

सरकारी सेवा से सेवानिवृत अभ्यथियों के लिए प्रशासी विभाग से Vigilance Clearance का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाये। परिपत्र संख्या–10000, दिनांक–10.07.2015 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाये।

(ख) शेष पदों यथा उप निदेशक (आरक्षण कोटि : अतिपिछड़ा वर्ग), लेखा पदाधिकारी, वरिष्ठ कार्यालय सहायक, कार्यालय सहायक (आरक्षण कोटि : अतिपिछड़ा वर्ग) के नियोजन हेतु पुनः विज्ञापन प्रकाशित किया जाये।

8. जैव विविधता प्रबंधन समिति (BMC) के गठन में सहयोग हेतु गैर सरकारी संगठन/संस्थाओं के भुगतान करने के संबंध में निर्णय लिया गया कि गैर सरकारी संस्थान एवं अन्य संस्थान द्वारा किये गये कार्यों में जो भी कमी पायी गई है, उसकी पूर्ण विवरणी, कमियों के आधार पर प्रस्तावित कटौती तथा कटौती का मानक सभी एजेंसियों/संस्थाओं को हस्तगत करा दिया जायें तथा इसका विवरण विभागीय वेबसाइट पर भी प्रदर्शित कर दिया जाय। समाचार पत्रों में भी इसे प्रकाशित किया जायें। किसी संगठन/संस्थाओं को इस संबंध में आपत्ति है तो 30 दिनों के अंतर्गत बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् कार्यालय में जमा करेंगे, उसके पश्चात् उनके द्वारा किये गये आपत्तियों पर विधि सम्मत निर्णय लेते हुए भगतान का प्रस्ताव अगली बैठक में रखा जायेगा।

9. पर्षद् के विशेषज्ञ सदस्यों के बैठक में भाग लेने हेतु "बैठक शुल्क" की दर अन्य बोर्ड/विभाग से प्राप्त कर एक समेकित प्रस्ताव अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय। बिहार सरकार के अन्तर्गत सभी बोर्ड इत्यादि में एक रूपता सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है।

10. (क) श्री पी० आर० सिन्हा, भा०व०से० (सेवानिवृत), विशेषज्ञ सदस्य ने सुझाव दिया कि बिहार में विभिन्न फसलों के बीजों की आनुवंशिक परिवर्तनशीलता (Genetic variability) का संरक्षण बहुत आवश्यक है। कृषि विभाग के अन्तर्गत चलने वाले कार्यक्रम (यदि कोई है, तो) की जानकारी प्राप्त की जाये तथा कृषि जैव विविधता (Agro biodiversity) के क्षेत्र में भी योजनाएं ली जाये।

(ख) श्री पी० आर० सिन्हा, भा०व०से० (सेवानिवृत), विशेषज्ञ सदस्य द्वारा यह भी अनुरोध किया कि गंगा प्रहरी के रूप में 400 पूर्ण रूप से प्रशिक्षित प्रहरी बिहार में उपलब्ध ह। इनका उपयोग जन जैव विविधता पंजी (PBR) की गुणवता वृद्धि में किया जा सकता है।

अध्यक्ष के धन्यवाद के साथ बैठक का समापन हुआ।

सचिव,
बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना।

अध्यक्ष,
बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना।